राज्य

धुलेश्वर व पातालेश्वर मंदिर में प्रवेश पर रोक

राजराजेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए भी समय तय

बांसवाड़ा, 23 अप्रेल (कासं)। राजराजेश्वर मंदिर प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर कुशलबाग महल स्थित धुलेश्वर एवं पातालेश्वर मंदिर में प्रकरण का फैसला होने तक दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। साथ ही न्यायालय ने राजराजेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रमित मेहता के निवेदन पर सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एवं शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक आम लोगों के दर्शन के लिए समय तय कर दिया है। शेष समय में याचिकाकर्ता मुख्य द्वार से प्रवेश रोक सकेगा।शहर के कुशलबाग महल परिसर स्थित राजराजेश्वर मंदिर, धुलेश्वर एवं पातालेश्वर मंदिर के बारे में राजस्व मंडल अजमेर व पूर्व में इस मामले में दिए गए फैसलों के विरुद्ध कुशलबाग पैलेस के गोपीराम अग्रवाल व अन्य की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। इस मामले में गुरुवार को न्यायाधीश डा. विनीत कोठारी ने अंतरिम आदेश जारी कर राजराजेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए समय निर्धारित कर दिया है। साथ ही निर्णय में याचिका का फैसला होने तक कुशलबाग महल स्थित धुलेश्वर एवं पातालेश्वर मंदिरों में आम दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

इस मामले में याचिकाकर्ता गोपीराम व अन्य की ओर से कहा गया कि उन्होंने यह संपत्ति पूर्व महारावल से 1981 में खरीदी थी। निजी मंदिरों व उनकी होटल का रास्ता एक होने से असामाजिक तत्व दिनभर परेशान करते हैं।

उच्च न्यायालय ने राजस्व मंडल अजमेर के 5 जुलाई 06 को कुशलबाग महल के संबंध में, जिला कलक्टर के 31 जुलाई 87 तथा राजस्व अपील अधिकरण के 19 जुलाई 2001 को दिए निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर उपरोक्त आदेश दिए है।

(इस संबंध में शुक्रवार के अंक में प्रकाशित खबर में हुई त्रुटि का खेद है-स.)

राजस्थान पत्रिका
जोधपुर, शुक्रवार, 23 अप्रेल, 2010

पाटलेश्वर व धुलेश्वर मंदिर जनता के लिए खुले रहेंगे

खुशालबाग महल स्थित मंदिरों का मामला

जोधपुर, 22 अप्रेल (विसं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में बांसवाड़ा के खुशालबाग महल स्थित पाटलेश्वर तथा धुलेश्वर मंदिर आमजन के खुले रखने तथा राजराजेश्वर मंदिर दिन में दो बार सात घंटे ही खुले रखने का आदेश दिया है। गोपीराम व अन्य की ओर से अधिवक्ता रमित मेहता और राजस्व बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दायर रिट याचिकाओं की सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश डॉ. विनित कोठारी ने यह आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि राजराजेश्वर मंदिर प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक तथा शाम को 5 से आठ बजे तक आम जनता के लिए मुख्यद्वार खुला रहे ताकि आम जनता दर्शन कर सके। शेष समय याचिकाकर्ता मुख्यद्वार से प्रवेश रोक सकेगा। पाटलेश्वर तथा धुलेश्वर मंदिर में प्रवेश पर आम जनता के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में राजस्व मण्डल के 5 जुलाई 06 को बांसवाड़ा के खुशालबाग महल के मंदिरों के संबंध में जिला कलेक्टर के 31 जुलाई 87 तथा राजस्व अपील अधिकरण के निर्णय 19 जुलाई 2001 के विरुद्ध दिए निर्णय के विरुद्ध रिट याचिकाओं को विचारार्थ स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता गोपीराम व अन्य की ओर से कहा गया कि यह संपत्ति पूर्व महारावल से 1981 में खरीदी गई है तथा निजी मंदिरों का रास्ता व उनकी होटल का रास्ता एक होने से असामाजिक तत्व दिनभर परेशान करते है। उच्च न्यायालय ने याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाओं को विचारार्थ मंजूर करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।